:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–03.09.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1387/1, 1387/2, 1388, 1389, 1390 कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 12 पर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम काली मंगरी का खेड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया संख्या दो व तीन के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1373, 1374, 1375 कुल किता 03 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 120 पर स्थित है। जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पेश है।

यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात में संज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता कस्बा गंगापुर से ग्राम काली मंगरी जाने वाली सड़क जिसके आराजी संख्या 1441/1 है के उत्तरी तरफ स्थित आराजी संख्या 1276 किस्म गै0मु0 नाला से होते हुए आगे विपक्षीगण संख्या एक व दो की खातेदारी की आराजी संख्या 1378 की पूर्वी पाली के पास होते हुए आगे विपक्षी संख्या तीन लगायत पांच की आराजी संख्या 1382/1610 की पश्चिमी पाली पर होते हुए आगे विपक्षी संख्या तीन लगायत पांच की आराजी संख्या 1382 की पश्चिमी पाली पर होते हुए आगे विपक्षी संख्या छह लगायत दस की आराजी संख्या 1385 की पश्चिमी पाली पर होते हुए आगे विपक्षी संख्या 11 लगायत 15 की आराजी संख्या 1384 व 1386 के मध्य की पाली पर होते हुए आगे प्रार्थी संख्या दो व तीन की आराजी संख्या 1374, 1373 में व प्रार्थी संख्या एक की आराजी संख्या 1387/1, 1387/2, 1388 में प्रवेश करते है। यह रास्ता करीबन 12 फीट की चौड़ाई में स्थित है । जिससे प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णितानुसार रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुए अपनी कृषि आराजियात में संज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करते हुए प्रार्थी अपनी आराजियात में काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी की आराजी मे आवागमन के लिए सबसे नजदीकी व सुगम रास्ता विपक्षीगण की आराजियात में ही है, अन्य वैकल्पिक [illegible] है जिससे विपक्षीगण की आराजियात में से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जा[illegible]आव[illegible] है रास्ता सबसे कम दूरी का व सबसे सुविधाजनक रास्ता है जि[illegible] प्रार्थी [illegible] रास्ते की मांग कर रहा हैं व उक्त रास्ते को बिलानाम रास्ता द[illegible] [illegible] खातेदारों को भी सुविधा हो जायेगी। इसके अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:19 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा पटवार हल्का डेलाणा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1387 / 1, 1387 / 2, 1388, 1389, 1390 में रांज , बैल, बैलगाडी, पैदल, ट्रेक्टर सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता गंगापुर से ग्राम काली मंगरी जाने वाली सड़क जिसके आराजी संख्या 1441 / 1 है के उत्तरी तरफ स्थित आराजी संख्या 1276 किस्म गै0मु0 नाला से होते हुए आगे विपक्षीगण संख्या एक व दो की खातेदारी की आराजी संख्या 1378 की पूर्वी पाली के पास होते हुए आगे विपक्षी संख्या तीन लगायत पांच की आराजी संख्या 1382 / 1610 की पश्चिमी पाली पर होते हुए आगे विपक्षी संख्या तीन लगायत पांच की आराजी संख्या 1382 की पश्चिमी पाली पर होते हुए आगे विपक्षी संख्या छह लगायत दस की आराजी संख्या 1385 की पश्चिमी पाली पर होते हुए आगे विपक्षी संख्या 11 लगायत 15 की आराजी संख्या 1384 व 1386 के मध्य की पाली पर होकर 12 फीट चौड़ाई में स्थित है को नियमानुसार राशि जमा करवा राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.02.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 लगायत 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व / 20 / 496 दिनांक 31.08.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>मौका पर्चा अनुसार :—</u>

—यह कि मौके पर प्रार्थीगण ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा के आराजी नं0 1276, 1378, 1377 / 1609, 1382 / 1610, 1382 / 1315, 1384, 1386 में से होकर उनकी खातेदारी भूमि में आवागमन करते है मौके पर पगडण्डी के निशानात मौजूद है।

— यह कि मौके पर तीन जगहो पर छड़ियों की फली लगा रखी है। प्रार्थीगणों के अनुसार अप्रार्थीगण कभी—कभी रास्ता बंद कर देते है।

—यह कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु नहीं है।

— यह कि वर्तमान में प्रार्थीगण आराजी नं0 1276, 1378, 1377 / 1609, 1382 / 1610, 1382, 1385, 1384, 1386 में से होकर आवागमन करते है।

— यह कि उक्तानुसार रास्ते हेतु बिलानाम आराजी नं0 1276 रकबा 0.50 हे0 में से 0.0028 हे0, तथा खातेदारी आराजी नं0 1378 रकबा 0.20 हे0 में से 0.0052 हे0, आराजी नं0 1377 / 1609 रकबा 0.30 हे0 में से 0.0176 हे0, आराजी नं0 1382 रकबा 0.15 हे0 में से 0.0160 हे0, आराजी नं0 1382 / 1610 रकबा 0.04 हे0 में से 0.0040 हे0, आराजी नं0 1385 रकबा 0.28 हे0 में से 0. 0008 हे0, आराजी नं0 1384 रकबा [illegible] आराजी नं0 1386 रकबा 0.28 हे0 में से 0.0120 हे0 अर्थात् कुल 0.0610 हे0 [illegible] रास्ते [illegible] प्रभावित होती है। ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा की सिंचित [illegible] रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते [illegible] की मालियत 20145 / — रूपये होती है तथा इसकी दुगुनी राशि 40290 / — रूपये होती [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

–यह कि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्त ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा पटवार हल्का डेलाना की आराजी संख्या 1387 / 1, 1387 / 2, 1388, 1389, 1390 किता 5 रकबा 1.19 हे0 भूमि में आवागमन करने के लिए बिलानाम आराजी नं0 1276 एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 1378, 1377 / 1609, 1382 / 1610, 1382 / 1315, 1384, 1386 में से होकर आवागमन करने के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भुमि आराजी नं0 आराजी संख्या 1387 / 1, 1387 / 2, 1388, 1389, 1390 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिए बिलानाम आराजी नं0 1276 रकबा 0.50 हे0 नाला को छोडते हुए विपक्षीगण की आराजी संख्या 1378, 1377 / 1609, 1382 / 1610, 1382 / 1315, 1384, 1386 में से 0.0582 हे0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा पटवार हल्का डेलाना की आराजी संख्या 1387 / 1, 1387 / 2, 1388, 1389, 1390 में आने जाने के लिए खातेदारी आराजी नं0 1378 रकबा 0.20 हे0 में से 0.0052 हे0, आराजी नं0 1377 / 1609 रकबा 0.30 हे0 में से 0.0176 हे0, आराजी नं0 1382 रकबा 0.15 हे0 में से 0.0160 हे0, आराजी नं0 1382 / 1610 रकबा 0.04 हे0 में से 0. 0040 हे0, आराजी नं0 1385 रकबा 0.28 हे0 में से 0.0008 हे0, आराजी नं0 1384 रकबा 0.19 हे0 में से 0.0026 हे0, आराजी नं0 1386 रकबा 0.28 हे0 में से 0.0120 हे0 अर्थात् कुल 0.0582 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 330232 / – है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 19220 / –होती है। इसकी दुगुनी राशि 38440 / –प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 15 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0582 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 38440 / – प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 15 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम कालीमंगरी का खेड़ा पटवार हल्का डेलाना की आराजी संख्या 1387 / 1, 1387 / 2, 1388, 1389, 1390 में आने जाने के लिए 12 फीट चौड़ा रास्ता यानी विपक्षीगण की आराजी संख्या 1378, 1377 / 1609, 1382 / 1610, 1382 / 1315, 1384, 1386 में से 0.0[illegible] [illegible] को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में [illegible] रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:19 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner